

लीज अवधि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पटवध ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना ग्राम कनछ जिला -सोनभद्र के अन्तर्गत WTP पाइपलाइन तथा जैकवेल का निर्माण से कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर की ग्राम कनछ आराजी संख्या-4ग की 6.4325 हे० आरक्षित वन प्रभावित होगी, जिसे 30 वर्षों की लीज अवधि के लिए लीज पर लेने की आवश्यकता है।

प्रभावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी, सोनभद्र से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की वचनबद्धता दी जाती है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो मूल्य/ प्रीमियम/ लीज रेंट का निर्धारण किया जायेगा, उसे राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा स-समय भुगतान किया जायेगा।

उक्त के अलावा प्रस्तावित पटवध ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनान्तर्गत WTP पाइपलाइन तथा जैकवेल निर्माण हेतु अन्य किसी भूमि स्थल का कोई विकल्प नहीं है।


क्षेत्रीय अधिकारी
कैमूर वन्य जीव विहार
मुर्गा-रेंज सोनभद्र


(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन